न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी- हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 230 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 17.11.2017

1. उदयराम पिता खेमा जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. बंशीलाल पिता खेमा जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. बागु पिता सोला जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. पीसु पिता सोला जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. चुन्नीलाल पिता सोला जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. शम्भुलाल पिता सोला जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. कमली पुत्री सोला जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8. टम्मा पुत्री सोला जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9. नन्दलाल पिता ऊंकार जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10. नारायण पिता ऊंकार जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
11. गोपाल पिता ऊंकार जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
12. बाबु पिता ऊंकार जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
13. काली बेवा ऊंकार जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
14. सरजु बेवा सोला जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्ध

1. कालु पिता खेमा जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. गेन्दमल पिता खेमा जाति भील निवासी उन्दरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 41/2017 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017

उपस्थित– 1. कैलाश उपाध्याय–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. कृष्णचंद शर्मा–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. चंदनमल जणवा–रेस्पोडेन्ट सं. 2
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3

निर्णय **दिनांक 29.11.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के विरूद्ध अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

धारा 53,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी व अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात मोजा देवडुंगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता सं. 14 मे दर्ज आराजी नम्बर 83,84,86,116,131,132,136,137,138 कुल किता 9 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात पूर्व मे सोला, खेमा, रूपा के संयुक्त खातेदारी की थी। रूपा के मांगीलाल श्रवण दो पुत्र धोली एवं नांरगी दो पुत्रिया व झमरी बेवा थी। इन पांचो ने हक परित्याग विलेख दिनांक 13.01.2011 के द्वारा समस्त कृषि आराजीयात मे उनके हक व हिस्से को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पक्ष मे कर दिया उसके आधार पर 1/3 का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के खुल कर दर्ज हो गई। खेमा के वारिस मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 व 3 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 सोला के प्रतिवादी सं. 4 से लगायत 15 पुत्र पुत्री पोत्र पुत्री एवं बेवा है। सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मे सोला, खेमा, रूपा का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा होकर उसी अनुसार बंटवाडा कर रखा है लेकिन राजस्व रेकार्ड मे अंकन नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी व लगान को लेकर विवाद होता रहता है जिससे विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा कराये जावे व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 1,3,5,7,8,9,10,11,15 की ओर से अधिवक्ता नियुक्त हुए। जवाबदावा हेतु अवसर चाहा। शेष प्रतिवादीगण सं. 2,4,6,12,13,14 की तामील मे विचाराधीन थी। दिनांक 11.05.2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट केलझर मे नियत किया जाकर बिना जवाबदावा व बिना तामील के लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्ट्गण ने इस न्यायालय मे अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जिससे अपीलान्ट्गण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट्गण प्रार्थीगण की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाहते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। पत्रावली अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत थी जिसको बिना अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को सूचित किये लोक अदालत कैम्प कोर्ट केलझर मे नियत किया जाकर जवाबदावा के स्तर पर विचाराधीन पत्रावली मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत का कोई नोटिस अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को नही दिया गया न ही अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को लोक अदालत की सूचना प्राप्त हुई। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को तारीख पेशी जवाबदावा हेतु दी गई थी। जिसे मनमकसुद तरीके से कैम्प कोर्ट केलझर मे नियत करते हुए तामील व जवाबदावे मे विचाराधीन पत्रावली को लोक अदालत मे नियत की जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे उभयपक्षकारान उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत करते हुए राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है। आवेदन के अनुसार ही लोक अदालत मे प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है, फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादी व प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र का प्रस्तुत किया। वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी विवादित कृषि आराजीयात का सहखातेदार है। सहखातेदार ने अपने हक व हिस्से का बंटवाडा चाहते हुए बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादीगण अपीलान्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट केलझर मे नियत की गई जिसमे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बंटवाडे का वादपत्र होना मानते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा यद्यपि लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पारित की है जो राजस्व रेकार्ड के मुताबिक होने से विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने सहखातेदारी की कृषि आराजीयात के बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलान्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 24.04.2017 को उपस्थित हुए। जवाबदावा हेतु अवसर चाहा। शेष प्रतिवादीगण जिनकी तामील नही हुई उनके सम्मन नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.05.2017 नियत की गई। दिनांक 24.04.2017 की आदेशिका मे शेष प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस पेश होने पर जारी होने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने कोई सम्मन नोटिस पेश नही किये। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत का सम्मन नोटिस जारी किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे बिना तामील के प्राप्त हुआ जिसमे अंकित किया गया। उसी नोटिस के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को सूचना मिल जाना मानते हुए दिनांक 11.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट केलझर मे बिना किसी लिखित राजीनामे के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन करने से विवादित कृषि आराजीयात मे पक्षकारान का हक व हिस्सा स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रत्येक पक्षकारान का हक व हिस्सा तय करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया जाना अपेक्षित था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान का बिना हक व हिस्सा तय किये राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली मे गुणावगुण पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण सं. 1, 3 से 15 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 41/2017 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर उभयपक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य व सबुत ली जाकर गुणावगुण पर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 26.12.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)